कम्प्यूटर परिपत्र सं0 171×064 दिनांक 06-12-2017

पत्रांकः: जी.एस.टी./2017–18/ 1093 /वाणिज्य कर

समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:: दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

विषयः– उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों के पदनाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के आदेश सं0–278/जी.एस.टी./2017–18/राज्य कर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों को "उचित अधिकारी" (Proper Officer) नामित किया गया है, इस आदेश में अधिकारियों के पदनाम राज्य कर अधिकारी, राज्य कर के सहायक आयुक्त, राज्य कर के उपायुक्त, राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, अंकित है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या– जी.एस.टी./2017–18/1030/वाणिज्य कर दिनांक 20 नवम्बर, 2017 से यह निर्देश दिये गये कि पत्राचार आदि में विभाग के नाम तथा अधिकारियों के पदनाम में 'राज्य कर' के स्थान पर पूर्ववत् 'वाणिज्य कर' शब्द का प्रयोग किया जाये।

किन्तु विभागीय अधिकारियों के नाम एवं पदनाम को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुयी है। उक्त के दृष्टिगत स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है –

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा–3 निम्नवत् है–

धारा–3 सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :–

(क) राज्य कर प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त या आयुक्त ;
(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त ;
(ग) राज्य कर अपर आयुक्त ;
(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त ;
(ङ) राज्य कर उपायुक्त ;
(च) राज्य कर सहायक आयुक्त ;
(छ) राज्य कर अधिकारी ; तथा
(ज) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे ;

परन्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा–3 के परन्तुक से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन नियुक्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अधीन भी नियुक्त अधिकारी हैं। अधिनियम के उक्त प्रावधानों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत कोई विधिक नोटिस जारी करने अथवा कोई विधिक आदेश पारित करते समय विभागीय अधिकारियों द्वारा राज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, उपायुक्त राज्य कर, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, अपर आयुक्त राज्य कर तथा आयुक्त राज्य कर पदनाम का प्रयोग किया जायेगा। किन्तु कार्यालय के नाम का उल्लेख करते हुये कार्यालय के नाम में तथा पत्राचार आदि के समय अधिकारियों के पदनाम में 'वाणिज्य कर' शब्द का प्रयोग किया जायेगा।

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

5/12/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।